भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3605

दिनांक 13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

असुरक्षित पेयजल

†3605. डॉ. शशि थरूर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में आई उन रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें यह संकेत दिया गया है कि दिल्ली और गाजियाबाद में पेयजल के नमूने 'मल संदूषण' के कारण लगातार पांचवें वर्ष सुरक्षा मानकों में विफल रहे हैं, जिससे जलजनित रोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल परिणामों का गंभीर खतरा पैदा हो गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार असुरक्षित पेयजल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए निगरानी, अंतर-एजेंसी समन्वय और निवारक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सुदृढ़ करने हेतु कदम उठा रही है; और
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): जल राज्य का विषय है और जल प्रबंधन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शी के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। यह विभिन्न योजनाओं/मिशनों जैसे कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) और अनुमोदित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अमृत 2.0 के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिनका उद्देश्य जल आपूर्ति प्रणालियों सहित शहरी सेवाओं में सुधार करना है। इस मिशन के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार बुनियादी ढांचे के संवर्धन/पुनर्वास सहित अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार प्राप्त है। पेयजल सुरक्षा की निगरानी, प्रवर्तन

और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओयूएचए) ने मार्च 2024 में राज्यों/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा जल आपूर्ति परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए संदर्भ हेतु जल आपूर्ति एवं उपचार प्रणालियों (नल से पीने का जल) पर नियम पुस्तिका प्रकाशित की है- (https://mohua.gov.in/publication/manual-on-water-supply-and-treatment-systems---drink-from-tap---march-2024.php), इस नियम पुस्तिका में "पेयजल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी" पर एक अध्याय है, जिसमें शहरी जल सेवा प्रदाताओं द्वारा की जाने वाली पेयजल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी तथा स्वच्छता निगरानी (निरीक्षण) गतिविधियों के विभिन्न घटकों के लिए मानक प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने जनवरी 2026 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शी जारी की थी जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों और पुरानी अवसंरचनाओं का व्यापक आकलन करने और जल आपूर्ति लाइनों के निकट सीवर लाइनों के क्रॉसिंग की पहचान करने तथा अमृत/अमृत 2.0 के तहत बनाए गए भू-स्थानिक डेटाबेस का उपयोग करके मौजूदा जल और सीवर नेटवर्क की डिजिटल मैपिंग करने का निर्देश दिया गया था ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को रोका जा सके।

अमृत मित्र पहल के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को जल गुणवत्ता परीक्षण, संचालन एवं रखरखाव सहायता, बिल वितरण और जागरूकता कार्य में शामिल किया गया है।

अगस्त 2019 से, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन (जेजेएम) को राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता का पीने योग्य नल का पानी पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

(लिंक:https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/handbook-on-drinking-water-treatment-technologies-2023.pdf)
